पुस्तकालय
1
3210
11/4/12

सत्यमेव जयते

असंशोधित

20 MAR 2012

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग 1–कार्यवाही–प्रश्नोत्तर)

प्रतिवेदन शाखा
गै०स०प्रे०सं०···802····तिथि···11/4/12

20 मार्च,2012 ई.

पंचदश विधान सभा — मंगलवार,तिथि ----------

पंचदश सत्र — 30 फाल्गुन,1933 (शक)

(कार्यवाही प्रारंभ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण,अब सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । प्रश्नोत्तर काल । अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे । माननीय सदस्य,श्री श्रवण कुमार । स्थगित प्रश्न है, पूछा हुआ है । माननीय मंत्री,शिक्षा ।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित प्रश्न सं0-36(श्री श्रवण कुमार)

श्री पी0 के0 शाही,मंत्री : महोदय, आरोप गंभीर थे इसलिये मैंने उचित समझा कि पूर्व के जांच से संतुष्ट नहीं होते हुए पुनः एक जांच कराया जाय और जांच करायी गयी । जांच प्रतिवेदन 19 मार्च,2012 को विभाग में प्राप्त हुआ है, उस जांच प्रतिवेदन को ही सदन के समक्ष पढ़ देने से माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर उसमें महोदय,निहित है । ये जिला कार्यक्रम पदाधिकारी का जांच प्रतिवेदन है, अधोहस्ताक्षरी के पत्रांक 132 दिनांक 12.1.12 के आलोक में कन्या मध्य विद्यालय,डुमरिया के महजबीं प्रवीण प्रभारी प्रधानाध्यापक के विरूद्ध सरकारी राशि गबन के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने एवं तत्काल विद्यालय का प्रभार हस्तांतरित करने हेतु प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी,डुमरिया को आदेश दिया गया था लेकिन उनके द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया गया । अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 19.3.12 को उक्त विद्यालय का पासबुक, बैंक स्टेटमेंट एवं रोकड़बही का सघन जांच के उपरांत यह स्पष्ट होता है कि श्रीमती महजबीं प्रवीण के द्वारा सरकारी राशि का दुरूपयोग नहीं किया गया है बल्कि पूर्व के प्रभारी शिक्षिका,गुलशन आरा का जिला शिक्षा नियोजन अपीलीय प्राधिकार,गया के पत्रांक 631 दिनांक 8.6.2011 के आदेशानुसार नियोजन को अवैध करार देने के कारण पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर अनावश्यक आरोप लगाया गया है । साथ ही, इन्होंने महजबीं प्रवीण को स्वेच्छा से विद्यालय का प्रभार नहीं दिया बल्कि अधोहस्ताक्षरी के पत्रांक 157 दिनांक 23.6.2011 के आदेश से विद्यालय का संचालन महजबीं प्रवीण द्वारा किया जा रहा था । अवैध रूप से राशि निकासी के संबंध में अंकित करना है कि मध्य बिहार ग्रामीण बैंक,मैगरा का खाता सं0- सी 54 पुराना, इतना नया से दिनांक 4.8.2011 को डेढ़ लाख रूपये की निकासी की गयी तथा उसी तिथि 4.8.2011 को पंजाब नेशनल बैंक,डुमरिया के खाता संख्या इतना में सुरक्षा एवं सुविधा के दृष्टिकोण से विधिवत् रूप से जमा करा दी गयी है जो उक्त खाता में संधारित पाया गया । साक्ष्य हेतु खाता संख्या इतना की छायाप्रति संलग्न है । अतः लगाया गया आरोप निराधार एवं बेबुनियाद पाया

मैं पूछना चाहता हूं कि जो उनको हटाया गया और प्रभार दिया गया दूसरे शिक्षक को तो उस शिक्षक को समय सीमा के अंदर उन्होंने प्रभार नहीं दिया इसका क्या कारण है, उसके लिये जो दोषी हैं उसपर कौन सी कार्रवाई की जा रही है ?

श्री पी0के0 शाही,मंत्री : महोदय, ये तो प्रश्न है ही नहीं । प्रश्न तो है कि गबन के लिये एफ0आई0आर0 दर्ज हुआ या नहीं, मैंने स्पष्ट कर दिया कि गबन का साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है इसलिये एफ0आई0आर0 दर्ज करने का प्रश्न नहीं उत्पन्न होता है महोदय लेकिन माननीय सदस्य ने कुछ बातें उठायी हैं मैं फिर से उसको दिखवा लूंगा महोदय ।

अध्यक्ष : बैठिये । माननीय मंत्रीजी,उसमें केवल इतना ही दिखवा लीजिये कि वो जो खाता है वो खाता विद्यालय के नाम से है या व्यक्तिगत नाम से है अगर विद्यालय के खाता में ही जमा किया गया दूसरे बैंक में भी तब तो ठीक है या व्यक्तिगत खाते में जमा किया गया, व्यक्तिगत खाते में रखा गया ?

श्री पी0 के0 शाही,मंत्री : महोदय,मैं ये अविलम्ब इसको दिखवाकर और अगले सप्ताह मैं महोदय,माननीय सदस्य को इसकी सूचना दे दूंगा । सदन को सूचित कर दूंगा महोदय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य,श्री श्रवण कुमार । पूछा हुआ प्रश्न है,माननीय शिक्षा मंत्रीजी ।

<u>अल्पसूचित प्रश्न सं0-37(श्री श्रवण कुमार)</u>

श्री पी0 के0 शाही,मंत्री : महोदय,आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । जिला शिक्षा पदाधिकारी,गया के पत्रांक 1452 दिनांक 15.7.2011 एवं पत्रांक 2838 दिनांक 30.9.2011 द्वारा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी,डुमरिया को संबंधित नियोजन इकाई के सदस्यों से वसूली की अग्रेतर कार्रवाई हेतु निदेश दिया गया है । जिला शिक्षा पदाधिकारी,गया के कार्यालय ज्ञापांक 1452 दिनांक 15.7.2011 द्वारा जिला पंचायत राज पदाधिकारी,गया को प्राधिकार के आदेश की कंडिका-2 के अनुरूप आपराधिक मामला दर्ज कराने हेतु अग्रेतर कार्रवाई के लिये अनुरोध किया गया है परंतु माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0-14771/2010 रामदेव राम एवं अन्य में दिनांक 15.2.2010 को पारित न्यायादेश में मामला को जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार,गया को पुनः सुनवाई कर निस्तार हेतु प्रति प्रेषित किया गया है जो अभी लंबित है । इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी,गया द्वारा अपने पत्रांक 240 दिनांक 13.3.2012 से जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार,गया को उक्त सुनवाई अविलम्ब पूर्ण करते हुए शीघ्र निर्णय लेने का अनुरोध किया गया है । साथ ही उनके द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त प्राधिकार के आदेश के आलोक में पंचायत शिक्षक नियोजन नारायणपुर के पत्रांक 7 दिनांक 30.11.2011 द्वारा सभी 14 शिक्षकों की नियुक्ति समाप्त करने का निर्देश दिया गया है ।

श्री श्रवण कुमार : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी 14 शिक्षकों के नियोजन को रद्द करने का निर्देश दिया गया है महोदय,इन्होंने बताया जवाब में ।

... क्रमशः ...

अल्पसूचित प्रश्न संख्याः- "ख" ३७ का पूरक

श्री श्रवण कुमार, क्रमशः- इन्होंने बताया जवाब में। जिला शिक्षा नियोजन अपीलीय प्राधिकार, गया के वाद संख्या- ७७५/२००९ के निष्पादन के क्रम में ज्ञाप संख्या- ८०८ दिनांक २४.७.२०१० को अवैध रुप से नियुक्त सभी शिक्षकों के विरुद्व अपराधिक मामला दर्ज करने, नियुक्ति रद्व करने तथा प्राप्त वेतन की वसूली का आदेश जिला शिक्षा अधीक्षक, गया को दिया गया,जिसका कार्यान्वयन अध्यक्ष महोदय अभी तक नहीं हुआ,इस दिशा में मैं माननीय मंत्री महोदय जी से जानना चाहता हूँ कि इस दिशा में कब तक कार्रवाई होगी, कोई समय सीमा है इसकी।

श्री पी०के०शाही, मंत्रीः- महोदय,जैसा मैंने उल्लेख किया यह मामला माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष गया और उच्च न्यायालय ने अपीलीय प्राधिकार के पूर्व के आदेश के संबंध में यह निदेश दिया "Considering all these aspects this court would quash the interim order passed by the authority as contained in ~~an~~ annexure- 1 and remit the matter back to the authority to reconsider the case of petitioners in the light of findings arive by the collector of the district in the inquiry dated 14.8.2009. महोदय, हाईकोर्ट ने उस आदेश को क्वेश कर दिया और क्वेश करके पुनः अपीलीय प्राधिकार के समक्ष सुनवाई कर निष्पादन करने का निदेश दिया है। अभी यह मामला अपीलीय प्राधिकार के समक्ष लंबित है और इस कारण जिला शिक्षा पदाधिकारी ने अपीलीय प्राधिकार से सविनय अनुरोध किया है कि वे यथाशीघ्र मामले का निष्पादन कर दें ताकि अग्रेत्तर कार्रवाई की जाय। महोदय, इसी फैसले में, माननीय उच्च न्यायालय के फैसले में, यह निदेश भी है किः- Till such an exercise is completed the petitioners will not be allowed to join ~~there~~ their post on the strength of quashing of the interim order. अर्थात् जब तक सुनवाई लंबित है,तब तक उन्हें ज्वायन करने का अधिकार नहीं होगा और इसी कारण महोदय,जिला शिक्षा पदाधिकारी ने १४ शिक्षकों को कार्य से मुक्त करने और वेतन नहीं दिये जाने का निदेश दिया है। महोदय, सरकार प्रयास करेगी कि अपीलीय प्राधिकार शीघ्र मामले का सुनवाई कर निष्पादन कर दें और उसके उपरान्त जो भी फैसला आयेगा,उस फैसले के अनुरुप कार्रवाई की जायगी।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंहः- महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ इस मामले में कि अपीलीय प्राधिकार को जो निदेश माननीय उच्च न्यायालय ने दे दिया है,तो न्यायालय ने आदेश कब दिया और कितने दिनों से अपीलीय प्राधिकार के स्तर पर मामला यह लंबित है।

श्री पी०के०शाही, मंत्रीः- महोदय, मैंने अपने उत्तर में स्पष्ट रुप से बताया गया कि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश दिनांक १५.२.२०१२ का है।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिहः- १५.२.२०१२ तक उनको देना है आदेश।

श्री पी०के०शाही, मंत्रीः- माननीय उच्च न्यायालय का आदेश १५.२.२०१२ का है,सी०डब्लू०जे०सी० -१४७७१/२०१०,माननीय न्यायमूर्ति श्री मिहिर कुमार झा का आदेश है १५.२.२०१२ का, अभी तो एक महीना से थोड़ा ही अधिक बिता है महोदय।

श्री मंजीत कुमार सिंहः- अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि अपीलीय प्राधिकार, गया ने २०१० में ही यह फैसला दिया था कि यह गलत नियुक्तियाँ हुई हैं, इसपर प्राथमिकी दर्ज करने के लिए और कार्रवाई करने के लिए और माननीय उच्च न्यायालय ने २०१२ में यह आदेश पारित किया, तो यह दो वर्षों के बीच में कार्रवाई नहीं करने का औचित्य क्या है ? क्या पदाधिकारियों ने इन सारे दोषी लोगों को बचाने का प्रयास किया, इस बीच में सरकार ने वैसे अपीलीय प्राधिकार के आदेश को नहीं मानने वाले दोषी लोगों पर क्या कार्रवाई की है और क्या कार्रवाई करना चाहती हैं ?

श्री पी०के०शाही, मंत्रीः- महोदय, यह अपीलीय प्राधिकार के आदेश के उपरान्त यह मामला माननीय उच्च न्यायालय में २०१० में ही संबंधित वादियों ने दायर किया था,जिसमें अपीलीय प्राधिकार के आदेश दिनांक २४.७.२०१० को चुनौती दी गयी थी,इसलिए माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका लंबित होने के कारण कार्रवाई नहीं की गयी प्रतीत होती है महोदय और अंत में तो माननीय उच्च न्यायालय ने उस आदेश को ही निरस्त कर दिया और फिर से आदेश पारित करने का निदेश दिया है। इसलिए माननीय सदस्य के उस प्रश्न की प्रासंगिकता नहीं रह जाती है महोदय, बदले हुए परिवेश में।

श्री मंजीत कुमार सिंहः- अध्यक्ष महोदय, सरकार ने ही अपीलीय प्राधिकार का गठन किया है और यह फैसला हुआ कि प्राधिकार का निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा और माननीय मंत्री जी ने फिर स्वीकार किया कि २००९ में अपीलीय प्राधिकार का आदेश था और २०१० में ये पटना उच्च न्यायालय गये, तो एक वर्ष तक अपीलीय प्राधिकार के आदेश का अनुपालन क्यों नहीं हुआ,यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ।

श्री पी०के०शाही, मंत्रीः- महोदय,माननीय सदस्य शायद सुन नहीं रहे है ठीक से। मैंने पढ़ा २४.७.२०१० का अपीलीय प्राधिकार का आदेश है और २०१० में ही रिट याचिका हाईकोर्ट में आवेदकों द्वारा दायर किया गया है।

श्री कृष्णनंदन यादवः- महोदय,मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहते हैं कि मुकदमा करने के लिए आदेश हुआ था,मुकदमा न करना, यह भी एक अपराध है और साथ ही साथ लगता है कि समय भी दिया गया कि कोर्ट से वे फैसला लेकर आ जाये। तो हम समझते हैं कि फिर से उसपर मुकदमा किया जाना चाहिए जो अधिकारी मुकदमा नहीं किया। क्या ऐसा विचार रखते हैं माननीय मंत्री महोदय ?

अध्यक्षः- बैठिये। माननीय मंत्री जी, इसमें इतना ही केवल दिखवा लीजिये कि जो अपीलीय प्राधिकार ने फैसला दिया और उस फैसले के विरुद्व फिर माननीय उच्च न्यायालय में जो दूसरे पक्ष के लोग गये, जिनके विरुद्व फैसला दिया, तो कोर्ट ने उसी समय तुरत कोई आदेश दिया था या अभी आदेश दिया है, स्थगन आदेश शुरु में ही दिया था या बाद में दिया है,अगर शुरु में स्थगन आदेश कोर्ट ने नहीं दिया, तो यह दो साल के बीच में क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हुआ, यह दिखवा लीजिये और अगर नहीं दिया उस बीच में, तो उसपर कार्रवाई होनी चाहिए और उससे माननीय सदस्य को भी अवगत करा दें और आसन को भी अवगत करा दें।